

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 एव राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-17 के अनुसार प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (I/II/III) / सातवें वेतनमान के अंतर्गत पे मैट्रिक्स लेवल संख्या निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान (उ.मा.वि./रा.मा.वि) सर्व श्री/श्रीमती	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि व पद	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय तृतीय ACP देय तिथि	एसीपी स्वीकृति पर देय वेतन-बैण्ड	ग्रेड पे / मैट्रिक्स लेवल
1	प्रेम शंकर झा जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर	25-07-60	08-12-93 H.M.	07-12-13 20 Y	08-12-2015 II दो वा. वेतन वृद्धि रोके जाने के कारण	15600-39100	6800
2	रतनलाल प्रधानाचार्य बा. चाणौद-सुमेरपुर (पाली)	09-07-67	30-11-96 Lec.	29-11-16 20 Y	08-10-19 II पदोन्नति परित्याग के कारण	---	L--17
3	जयन्ती शर्मा प्रधानाध्यापक, भाग्यावास-मानसरोवर जयपुर	18-06-66	02-10-89 Sr.T.	01-10-19 30 Y	02-10-19 III	---	L--15

उपरोक्त अधिकारियों को वेतन निर्धारण नियमानुसार संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा एवं संबंधित की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से इसका इन्दाज करेंगे ।

(सौरभ स्वामी)
आदेशपत्रा
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक 03-07-2020

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/ए-2-3-4/ACP/2020-21

1. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
2. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. संबंधित संस्था प्रधान
4. संबंधित अधिकारी
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय साईट पर अपलोड हेतु ।
6. निजी/रक्षित पत्रावली

(संयुक्त निदेशक(कार्मिक))
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर